

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, ड्वारखापड, राँची।

दिनांक-22वीं अक्टूबर 2021

सेवा में,

**Aakash India Projects and Builders Pvt.Ltd.**

Aakash Skyline,

Mango, Purulia Road, Mango, Jamshedpur.

**विषय:-** मौजा—मानगो, प्लॉट नं०—136, खाता नं०—489, वार्ड नं०—8 of MMC, थाना—16421, जिला—पूर्वी सिंहभमू में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवन के निर्माण हेतु अग्नि—सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक भवन का स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर से कराई गई। उनके द्वारा ज्ञापांक—601, दिनांक—19.10.2021 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय एवं व्यावसायिक के निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :—

1. प्रस्तावित आवासीय भवन के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 3,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकर्षिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ—आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस—बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. भवन के चारों तरफ 200mm डाया वाले रिंग मेन्स का निर्माण कराया जाय। जिसमें प्रत्येक 30 मीटर अथवा उसके भाग पर एक—एक यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अद्द डिलिवरी होज एवं एक अद्द ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
5. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबियों में 150mm डाया वाले एक—एक वेट राईजर का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 36 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो—दो अद्द डिलिवरी होज एवं एक—एक अद्द ब्रांच सहित एक—एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवन के बेसमेन्ट सहित सभी व्यावसायिक तलों को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ गौंग से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. स्प्रिंकलर के जलापूर्ति हेतु अलग से पाईप लाईन की व्यवस्था की जाय, जिसका संबंध अंडरग्राउण्ड एवं टेरेस टैंक दोनों से रहे।
8. भवन के सभी व्यावसायिक तलों में एड्रेसेबल टाईप डिटेक्शन एण्ड अलार्मिंग सिस्टम का संस्थापन कराया जाय। इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि इसकी आवाज भवन के प्रत्येक भाग में स्पष्ट रूप से सुनाई देने में सक्षम हो।
9. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें हाईड्रैण्ट लाईन हेतु 2850 Lpm क्षमता का दो अद्द फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय, जिसका हेड 110 मीटर एवं मोटर की क्षमता 90 के०बी०ए० से कम न हो। एवं जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम 3.5 kg /CM<sup>2</sup> दाब की क्षमता हो। स्प्रिंकलर लाईन के लिए अलग से एक पम्प की व्यवस्था की जाय। जिसकी क्षमता हाईड्रैण्ट लाईन के पम्प से कम न हो।।।

10. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
11. भवन में 950 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय, जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम  $3.5 \text{ kg /CM}^2$  दाब की क्षमता हो।
12. 180 Lpm क्षमता वाले दो अदद जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय, जिसमें सबसे ऊँचे तलों पर भी कम से कम  $3.5 \text{ kg /CM}^2$  दाब की क्षमता हो।
13. ये सभी फायर पम्प डिलिवरी हेड Inter Connected से रहेंगे।
14. इन सभी पम्पों को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
15. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
16. उपर्युक्त भवन के सभी लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय एवं Eccallators की अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था मानक के अनुरूप की जाय।
17. NBC के अनुसार अग्निशमन एवं बचाव कार्य हेतु भवन के सामने वाले भाग में 12 मीटर चौड़ी, ठोस एवं समतल जगह खुले रूप में हर समय उपलब्ध रखा जाय।
18. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
19. भवन में मानक के अनुरूप रिफ्युज एरिया का निर्माण कराया जाय।
20. भवन के बेसमेन्ट एवं सभी व्यावसायिक तलों में प्रति 400 वर्गमीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
21. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
22. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
23. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।
24. भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
25. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
26. बिजली के मेन स्वीच बोर्ड/पैनल के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
27. भवन में Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
28. भवन में मानक के अनुरूप तडित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
29. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
30. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जॉच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जॉच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।

31. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
32. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

(जगजीवन राम)  
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।